संख्या-119/2021/1559/24-1-21-419/2008

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 10 दिसम्बर, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मेजा (प्रयागराज) में 2×660 मेगावाट तापीय विद्वुत इकाईयों की एन0टी0पी0सी0 के साथ संयुक्त उपक्रम में स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पत्र संख्या-259/उ0नि0लि0/उ0मु0ले0(वित्त), दिनांक 29 सितम्बर, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मेजा (प्रयागराज) में 2×660 मेगावाट तापीय विद्वुत इकाईयों की एन0टी0पी0सी0 के साथ संयुक्त उपक्रम में स्थापना हेतु प्रविधानित धनराशि रूपये 102,20,00,000/- (रूपये एक सौ दो करोड़ बीस लाख मात्र) में से धनराशि रूपये 25,56,00,000/- (रूपये पच्चीस करोड़ छप्पन लाख मात्र) स्वीकृत कर आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्कता होने पर किया जायेगा तथा आवश्यकता के दृष्टिगत तिथि की सूचना तत्काल ऊर्जा अनुभाग-1 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि आहरित कर अनावश्यक रूप से बैंक में नहीं रखी जायेगी तथा इकाई की स्थापना से पूर्व सभी क्लियेरेन्स नियमानुसार प्राप्त कर लिया जाय।

3- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, द्वारा अवमुक्त धनराशि का एन0टी0पी0सी0 के साथ संयुक्त उपक्रम लगाने से भिन्न प्रयोजनों पर व्यय नहीं किया जायेगा।

4- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी जिस परियोजना की स्थापना हेतु स्वीकृत की जा रही है।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा/वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

7- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय-02-ताप विद्युत शक्ति उत्पादन-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-14- उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0-1408-2×660 मेगावाट मेजा तापीय विद्युत परियोजना (मेसर्स एन0टी0पी0सी0 के साथ संयुक्त उपक्रम में) हेतु अंशपूँजी-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-2158/दस-2021, दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या-119/2021/1559(1)/24-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर- एच, अलीगंज लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ राज्य योजना आयोग अनुभाग-1
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in